न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –32/2026 (प्रा०पत्र)

जीसीएमएस नं0 2026/101

सरकार जर्ये पुलिस थाना आर०के०पुरम जिला कोटा।

अभियोगी

बनाम

कमलसिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी 139 बोतलगंज मन्दसौर जिला मन्दसौर एमपी ।

प्रतिपक्षी

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 298/2023 थाना आर०के०पुरम कोटा शहर **जुर्म अन्तर्गत 332, 353, 529, 420** व 120बी आरपीसी व 16/54 एक्साईज एक्ट व धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रार्थना पत्र बाबत रिलीज किये जाने वाहन बोलेरो बीएस 6 MP-44 GA-2377 आवेदक अरफाज दतिया पुत्र शाकिर हुंसेन दतिया निवासी वार्ड नं0 9 ग्राम मुलतानपुरा तह0 मन्दसौर जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश

उपस्थितः–

1. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक – आवेदक प्रार्थी
2. सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 15.04.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अरफाज दतिया पुत्र शाकिर हुंसेन दतिया निवासी वार्ड नं0 9 ग्राम मुलतानपुरा तहसील मन्दसौर जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुलिस थाना आर के पुरम कोटा शहर द्वारा वाहन बोलेरो बीएस 6 MP-44 GA-2377 को जुर्म अन्तर्गत 332, 353, 529, 420 व 120बी आरपीसी व 16/54 एक्साईज एक्ट व धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम के तहत जब्तशुदा वाहन रिलीज का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो आदेश दिनांक 25.11.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया गया था, जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां प्रस्तुत करने पर संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2025 निर्णय दिनांक 23.2.2026 से प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है ।
2. प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी ने अपनी उपस्थिति दी गई । अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार को सुना गया ।
3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का वाहन बोलेरो बीएस 6 MP-44 GA-2377 को जप्त कर लिया है जो थाना आर.के.पुरम की कस्टडी में है । प्रकरण में मुल्जिमान से कोई अनुसंधान शेष नहीं है तथा उक्त वाहन खुले में खडा होने से खराब होने की संभावना है तथा जब भी उक्त वाहन की किसी न्यायालय में आवश्यकता होगी तो वह तुरन्त प्रस्तुत करने को तत्पर होना बताया है । वाहन सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया है कि मुल्जिमान से कोई अनुसंधान शेष नहीं है, तथा अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत वाहन का निपटारा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी आर.के.पुरम कोटा शहर द्वारा गोवंश से भरे वाहन बोलेरो बीएस 6 MP-44 GA-2377 को जप्त कर लिया है जो थाना आर.के.पुरम की कस्टडी में है, उक्त वाहन में में 6 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए एवं वाहन की केबिन में एक पांच लीटर की प्लास्टिक की पीपी में अवैध हथकड शराब भरी हुई पाई जाने से मुल्जिमान के विरूद्व गौवंश अधिनियम की धारा 3,5,6,8 गोवंशीय अधिनियम 1995 एवं धारा 11 पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 का एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाया गया है । प्रकरण में मुल्जिमान को न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं कोई अनुसंधान शेष नहीं है, तथा उक्त वाहन को थाना आरकेपुरम परिसर में खडे हुए काफी समय हो चुका है जिसके खराब होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन को वाहन मालिक अरफाज दतिया पुत्र शाकिर हुसैंन दतिया को सुपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि वाहन सुपुर्दगीदार 3,00,000/- तीन लाख रूपये का जमानतनामा एवं 3,00,000/- तीन लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर दे तो मुल्जिमान के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना वाहन रिलीज के आदेश सशर्त दिये जाते है । जब भी किसी भी न्यायालय में उक्त वाहन की आवश्यकता होगी तो तुरन्त न्यायालय आदेश की पालना में सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा वाहन का विक्रय आदि से खुर्द बुर्द नहीं करेगा । बाद पालना वाहन रिलीज हेतु थानाधिकारी आर.के.पुरम को इस आशय की तहरीर जारी की जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा